

श्री जयराम सिंह  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

शिक्षा निदेशक 121/162/16-21  
शिक्षा सामान्य 121 अनुभाग,  
इलाहाबाद ।

अनुभाग

तकनक: दिनांक 30 जुलाई, 1991

दयानन्द बाल मंदिर स्कूल, तुलतानपुरा आगरा केन्द्र, आगरा की जूनियर हाईस्कूल स्तर तक की औपवी माध्यम से प्रदत्त अत्यायी मान्यता की समयावृद्धि किये जाने के क्रिये के  
(कक्षा 6 से 8)

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-सामान्य 121/162/16-21 1/91-92 दि 25-4-91 के  
में एवं शासनादेश संख्या-2112/15-6-91-185/251/82 दिनांक 18-8-87 के अंतर्गत में सुने  
गये का निदेश हुआ है कि मामले में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा दयानन्द बाल  
स्कूल तुलतानपुरा आगरा केन्द्र, आगरा की जूनियर हाईस्कूल स्तर तक । कक्षा 6 से 8 ।  
औपवी माध्यम से पूर्व में प्रदत्त अत्यायी मान्यता में दिनांक 18 अगस्त, 1990 से दिनांक  
15, 1992 तक की समयावृद्धि इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संस्था के प्रबंधक इस  
शर्त अन्वय में निदेशक द्वारा इंगित सभी कर्मियों की पूर्ति कराकर एवं विद्यालय की  
समिति की तोताइली के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण तुरन्त कराकर पूरा कार्यवाही की  
जान सूचना शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत कर देंगे ।

भवदीय,

श्री जयराम सिंह ।  
उप सचिव ।

1-875 111/15-6-91, तददिनांक  
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- शिक्षा निदेशक 121/162/16-21, तकनक ।
- निरीक्षक, अंगन भारतीय विद्यालय, तकनक ।
- जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी, आगरा ।
- महिलाय सहायक शिक्षा निदेशक 121/162/16-21, आगरा ।

प्रबंधक, दयानन्द बाल मंदिर स्कूल & तुलतानपुरा आगरा केन्द्र, आगरा को इस  
निदेश के साथ कि वे कृपया इस ब्यापक शर्त अन्वय में निदेशक द्वारा इंगित सभी  
कर्मियों की पूर्ति कराकर एवं विद्यालय की प्रबंध समिति की तोताइली के रजिस्ट्रेशन  
का नवीनीकरण तुरन्त कराकर पूरा कार्यवाही की अनुमालन सूचना शिक्षा निदेशक को  
यथा समय प्रस्तुत कर दें ।

आज्ञा से,

श्री जयराम सिंह ।  
उप सचिव ।



(7)

संख्या-353/15-6-91-1891251/82

=====

प्रेषक,

श्री जयराम सिंह,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बे०) उ०प्र०,  
शिक्षा सामान्य 121 अनुभाग,  
लखनऊ ।

शिक्षा 161 अनुभाग

तलक: दिनांक 30 जुलाई, 1991

विषय: दयानन्द बाल मंदिर स्कूल, तुलानपुरा आगरा केंद्र, आगरा को कक्षा 1 से 5 तक की औपवी माध्यम से प्रदत्त अस्थापी मान्यता की समाप्ति किये जाने के विषयमें  
=====

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक सामान्य 121/162/16-21 1/91-92 दि० 25-4-91 के संदर्भ में एवं शासनद्वारा संख्या-2095/15-6-87-1891251/82 दि० 18-8-87 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मामले में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा दयानन्द बाल मंदिर तुलानपुरा, आगरा केंद्र, आगरा को औपवी माध्यम से पूर्व में संगत प्रदत्त प्राइमरी स्तर की 1 कक्षा 1 से 5 तक 1 अस्थापी मान्यता प्र में दिनांक 18 अगस्त, 1990 से दिनांक 30 जून, 1992 तक की समाप्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संस्था के प्रबंधक इस बढाई गयी अवधि में निदेशक द्वारा इंगित सभी कर्मियों की पूर्ति कराकर एवं विद्यालय की प्रबंध समिति की सौताइटी के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण तुरन्त कराकर इस कार्यवाही की अनुपालन सुचना शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत कर देंगे।

7/31

भवदीय,

। जयराम सिंह ।  
उप सचिव ।

संख्या-353111/15-6-91, तददिनांक

=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक (बे०) उ०प्र०, लखनऊ ।
- 2- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय लखनऊ ।
- 3- राष्ट्रीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) उ०प्र०, लखनऊ ।
- 4- शिक्षा वेत्ति शिक्षा अधिकारी, आगरा ।
- 5- प्रबंधक, दयानन्द बाल मंदिर स्कूल, तुलानपुरा, आगरा केंद्र, आगरा को इस निदेश के साथ कि वे इस बढाई गयी अवधि में निदेशक द्वारा इंगित सभी कर्मियों की पूर्ति कराकर एवं विद्यालय की प्रबंध समिति की सौताइटी के रजि० का नवीनीकरण तुरन्त कराकर इस कार्यवाही की अनुपालन सुचना शिक्षा निदेशक को यथासमय प्रस्तुत कर दें ।

आज्ञा से,

*J. Ram*

। जयराम सिंह ।  
उप सचिव ।

*fl*